

28
न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 369/18

सरकार

बनाम

श्री:

हरश्यालु पुत्र
भगवल जीत जाधव

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 13/3/2018

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री हरश्यालु पुत्र श्री भगवल जाति जाधव निवासी श्रीधवाडा तहसील महवा ने संवत् 2074 फसल रवि / खरीफ में ग्राम श्रीधवाडा की राजकीय आराजी खसरा नं. 560 कुल 1.54 रकबा गोमठ किस्म जसा भूमि से 30 रकबा पर अनाधिकृत रूप से गजान कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अतः अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 0.10 का 50 गुना 52 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 120 पर
वर्ष 2017-18 में
की राशि तादसी रकबा 560 पर
की जमा कायमी की गई ।
दिनांक 13/3/18 तहसील महवा
लेखाकार
तहसील-महवा

13/3/18
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)
महवा जिला दौसा